भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 913

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

उत्तर प्रदेश में भूजल संरक्षण

913. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में भूजल संरक्षण के मानदंड क्या है;

(ख) फतेहपुर में जल संकट से निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) फतेहपुर जिले में जल संरक्ष्ण के लिए विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण की दीर्घकालिक नीतियों के मानदंडों का बयौरा क्या है;

(ङ) फतेहपुर में ड्रिप सिंचाई (सूक्ष्म सिंचाई) प्रणाली के लिए प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) फतेहपुर जिले के संबंध में सरकार के विचाराधीन जल-संबंधी राजसहायता योजनाओं के नाम क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): उत्तर प्रदेश सहित देश में भूजल संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। भूजल मापदंडों और उपलब्धता की मात्रा की नियमित मॉनीटरिंग, जल की कमी वाले प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करना, क्षेत्र विशिष्ट स्थितियों के अनुसार उपयुक्त कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करना, स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाना, जन जागरूकता का सृजन करना और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूजल निकासी का विनियमन करना तथा इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त कानूनी और नीतिगत ढांचा आदि तैयार करना सुदृढ़ भूजल प्रबंधन व्यवस्था के लिए अनिवार्य मानक हैं ।

(ख) और (ग): 'जल' राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों के उचित प्रबंधन का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को समर्थन दिया जाता है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले सहित

देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम और कार्यान्वित की जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं:

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2025 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमे जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण करते हुए विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मार्च 2021 से जुलाई 2025 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लगभग 2127 जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, 2476 पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार और 687 पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओ का निर्माण किया गया हैं।

ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा जलभृत्तों की प्रकृति और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्युम) की शुरुआत की गई है। फतेहपुर जिले के 4152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सहित देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के समस्त मैपिंग योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है तथा भूजल प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और उपयुक्त फील्ड गतिविधियों के लिए इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान एक वृहद स्तरीय योजना है जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाया गया है। फतेहपुर जिले में कुल 839 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कृत्रिम पुनर्भरण के लिए उपयुक्त पाया गया है तथा चेक-डैम, पुनर्भरण शाफ्ट, पुनर्भरण तालाब और छत के वर्षा जल संचयन आदि संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

iv. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है जिनमें से 258 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हैं।

v. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल बिल उपलब्ध कराया गया है ताकि वे भूजल के विकास के विनियमन हेतु उपयुक्त भूजल कानून का अधिनियमन कर सके। इस मॉडल बिल में वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल कानून को अपनाकर इसका कार्यान्वयन किया गया है।

(घ): उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक नीति नियमित मॉनीटरिंग, जमीनी स्तर पर आयोजना, सामुदायिक भागीदारी और परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन के मूल सिद्धांतों को जारी रखना होगा। ये सभी उपाय पहले से ही उपयुक्त विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किए जा रहे हैं और इन्हें भविष्य में भी जारी रखना होगा।

(ड.): कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से उत्तर प्रदेश सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीडीएमसी के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% की दर से और अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अपने राज्य बजट से किसानों को टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान करती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पीडीएमसी योजना के तहत वर्ष 2015-16 से अब तक केंद्रीय सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को 1293.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और राज्य में 4,95,542 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, फतेहपुर जिले में 3896.61 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के बागवानी विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है, कि अप्रैल 2023 से जून 2025 की अवधि के दौरान फतेहपुर जिले में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी के रूप में कुल 6.99 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(च): केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई और कई अन्य जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण संबंधित गतिविधियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों और कमजोर वर्गों से संबंधित किसानों को सब्सिडी देने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। तथापि, यह प्रत्येक राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपनी चालू और प्रस्तावित स्कीमों के अंतर्गत उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले सहित देश में जल संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए।

*****